रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 1968/आषाढ़ 14, 1890
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY JULY 5, 1968/ASAD 14, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th of July, 1968.

No. F. 4(14)—W&M/68.—Subscriptions for the issue of 4½ *per cent. Loan* 1975 will be received from the 26*th of July* 1968. Subscriptions may be in the form of cash or of securities of the 3½ per cent. Loan 1968. The issue will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 135 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 29th of July 1968. Government reserve the right to retain subscriptions up to ten per cent. in excess of the sum of Rs. 135 crores.

If the total subscriptions exceed the sum of Rs. 148·50 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

4½ PER CENT. LOAN, 1975 ISSUED AT RS. 100·00 PER CENT. AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 26TH JULY, 1975.

1. **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 26th July, 1975.

2. **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100 for every Rs. 100 (Nominal) of the Loan applied for.

3. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 4¼ per cent. per annum from the 26th of July 1968. Interest will be paid half-yearly on the 25th of January and 26th of July and will be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

4. The securities of the 3½ per cent. Loan 1968 will be accepted for conversion at par. Interest at the rate of 3½ per cent. per annum on the securities of 3½ per cent. Loan 1968 tendered for conversion will be paid up to and inclusive of 25th July 1968, at the time of issue of the new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

5. **Place of payment of interest.**—Interest on the Loan will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or sub-treasury elsewhere in India, except for the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

6. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan, who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate can obtain, on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

7. The securities will be issued in the form of:—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

8. **Applications for the Loan.**—Applications for the Loan must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

9 Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Kanpur, Madras, Nagpur and New Delhi;

(b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government Treasury work; and

(c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

10. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires that interest shall be paid.

11. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or the securities which are to be converted. Cheques tendered at the offices of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned. The securities tendered for conversion must be transferred to Government—

(i) in the case of Stock Certificates, by signing the form of transfer deed on the reverse of the Certificate before a witness;

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—

"Pay to the President of India."

12. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loan bearing their stamp.

By order of the President,

A. R. SHIRALI,

Joint Secretary to the Government of India.

FORM OF APPLICATION

I/We———————————————————————————

(Full name(s) in Block letters)

herewith tender *Cash Rs.————*Cheque for Rs.————*Securities of 3½ per cent. Loan 1968 of the nominal value of Rs.————and request that securities of 4½ per cent. Loan 1975 of the nominal value of Rs———

may be issued to me/us in the form of Promissory Note (s)† / Stock Certificate.

interest to be payable at————

Signature————

Name in full————
(Block letters)

Address————

Dated the *of July* 1968.

NOTE.—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each form of subscription and for each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100. Rs. 200. Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denominations required.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नयी दिल्ली, 5 जुलाई, 1968

संख्या एफ 4(14)-डब्ल्यू ऐण्ड एम/68—$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1975 के निर्गम के लिए 26 जुलाई, 1968 से अभिदान लिये जायंगे। अभिदान नकदी के रूप में या $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1968 की प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं। ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि नकदी या रूपांतरण (कन्वर्शन) के रूप में अभिदानों की कुल रकम लगभग 135 करोड़ रुपया (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिया जायगा और हर हालत में यह निर्गम 29 जुलाई, 1968 को काम बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जायगा। लेकिन सरकार को 135 करोड़ रुपये से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान रख लेने का अधिकार होगा।

यदि अभिदानों की कुल रकम 148.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाय तो नकदी के रूप में अभिदान देने वालों के नाम आंशिक बंटन किया जायगा। यदि नकदी के रूप में प्राप्त अभिदानों के सम्बन्ध में आंशिक बंटन किया जायगा तो बंटन के बाद, जितनी जल्दी हो सकेगा, उसी अनुपात में रकम वापस कर दी जायगी। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 26 जुलाई, 1975 को सम-मूल्य पर परिशोध्य, $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1975

1. **वापसी की तारीख**—यह ऋण 26 जुलाई, 1975 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायगा।

2. **निर्गम मूल्य**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपया होगा।

3. **ब्याज**—इस ऋण पर 26 जुलाई, 1968 से $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा। ब्याज की रकम हर साल 25 जनवरी और 26 जुलाई को छमाही किस्तों में अदा की जायगी और इस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर भी लगेगा।

रूपान्तरण की शर्तें

4. $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1968 की प्रतिभूतियां सम-मूल्य पर रूपान्तरण के लिए स्वीकार की जायंगी। $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1968 की जो प्रतिभूतियां रूपान्तरण के लिए दी जायंगी उन पर, नयी प्रतिभूतियां जारी करने के समय, 25 जुलाई, 1968 तक की अवधि तक, जिस में यह तारीख भी शामिल होगी, $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा।

अनुपूरक व्यवस्थाएं

5. **ब्याज की अदायगी का स्थान**—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के अन्य स्थानों में किसी राजकोष या उप-राजकोष में तथा केन्द्रीय सरकार के जम्मू और श्रीनगर में स्थित वेतन और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायगा ।

6. ब्याज की अदायगी के समय वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार काटी गयी कर की रकम, ऋण देने वाले वे व्यक्ति, जिन पर कर न लगता हो, पूर्णतः और वे व्यक्ति, जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो जिस के अनुसार कर काटा गया हो, अंशतः वापस ले सकेंगे ।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो या जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर-अधिकारी को आवेदन-पत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के मुताबिक कर की रकम काटने के बाद मिल सकती है जो उस पर लागू होती है ।

7. ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जायंगी :—

(i) **स्टाक**—जिसके लिए आवेदन करने वालों को स्टाक-पत्र दिए जायंगे ।
या
(ii) **वचन-पत्र**

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर न करेंगे तो प्रतिभूतियां वचन-पत्रों के रूप में जारी की जायंगी ।

8. **ऋण के लिए आवेदन-पत्र**—ऋण के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र सौ रुपये या उसके गुणितों के लिए ही दिये जाने चाहिएं ।

9. ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थानों पर लिये जायंगे :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर और दिल्ली में स्थित कार्यालय;

(ख) भारतीय राज्य बैंक के सहायक बैंकों की वे शाखाएं, जो राजकोष का कार्य करती हों ; और

(ग) भारत में अन्य स्थानों पर भारतीय राज्य बैंक की शाखाएं ।

10. आवेदन इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र के रूप में हो या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी प्रतिभूतियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता और उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहां से वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो ।

11. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम, चेक या रूपान्तरित की जाने वाली प्रतिभूतियां भेजी जानी चाहिएं । भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राज्य बैंक या उसके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले चेक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिएं । रूपान्तरण के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियां इस प्रकार सरकार के नाम अन्तरित कर दी जानी चाहिएं :

(i) स्टाक-पत्रों के सम्बन्ध में, किसी गवाह के सामने, स्टाक-पत्र के पृष्ठभाग पर अंतरण-विलेख के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर के ;

(ii) वचन-पत्रों के सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार उन्हें पृष्ठांकित कर के

"भारत के राष्ट्रपति को दे दिया जाय"

12. मान्यता-प्राप्त बैंकों और दलालों को ऋण के लिए दिये गए उन आवेदन-पत्रों के संबंध में, जिन पर उन की मोहर हो, किये गये बंटनों पर 6 पैसे प्रति सौ रुपया (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायगी ।

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

ए० आर० शिराली
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आवेदन-पत्र

मैं/हम ———————————————————————

(पूरा/पूरे नाम)

——————————————— इसके साथ ———————————

रुपये नकद*——————— रुपये का चेक* $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1968 की ——————— रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां* पेश करता हूं/करते हैं, और प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1975 की——————— रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां, वचन-पत्र/वचन-पत्रों ** के रूप में जारी की जायं, और ब्याज

स्टाक-पत्र

——————— पर दिया जाय ।

हस्ताक्षर ———————————

पूरा नाम ———————————

———————————

———————————

दिनांक———————जुलाई, 1968 पता———————————

टिप्पणी.—(1) यदि वे प्रतिभूतियां जो रूपांतरण के लिए पेश की जाय, वचन-पत्रों के रूप में हों, तो आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर "भारत के राष्ट्रपति को दे दिया जाय" शब्द पृष्ठांकित किये जाने चाहिएं और यदि वे स्टाक-पत्रों के रूप में हों, तो स्टाक-पत्र के पृष्ठभाग पर अन्तरण-विलेख पर आवेदक द्वारा गवाह के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं ।

(2) आवश्यक नये ऋणों के हर तरह के पत्र (स्टाक-पत्र या वचन-पत्र) और हर तरह के अभिदान के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र दिये जाने चाहिएं ।

(3) यदि आवेदक ने अंगूठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की तसदीक होनी चाहिए । गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिएं ।

(4) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाय, तो निवेश-सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ, नीचे लिखे दस्तावेज (यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों) लगा दिये जाने चाहिएं :

(एक) पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) / निगमन का प्रमाण-पत्र ;

(दो) उस निकाय/कम्पनी की बहिर्नियमावली और अंतर्नियमावली या उसके नियमों, तथा विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रति ; और

(तीन) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करने के लिए प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति ।

---

*जो आवश्यक न हो उसे काट दीजिए ।

**बचन-पत्र, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्यों के जारी किये जायंगे । यहां पर उन खास मूल्यों का उल्लेख कीजिये, जिनकी आवश्यकता हो ।

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968